रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072026-274346
CG-DL-E-10072026-274346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2026/आषाढ 18, 1948
No. 442] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2026/ASHADHA 18, 1948

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सं.एम-27011/01/2025-एमएआरबी(लीगल)/एनएमसी.— "राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (2) के साथ पठित धाराओं 26, 28 और 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, "नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन एवं रेटिंग विनियम, 2023" या "नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन एवं रेटिंग विनियम, 2023" में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित मसौदा विनियम बनाता है, अर्थात्—"

1.

i. इन विनियमों को "नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन एवं रेटिंग (संशोधन) विनियम, 2026' संक्षेप में "नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन एवं रेटिंग (संशोधन) विनियम, 2026" कहा जाएगा।

ii. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में, मूल्यांकन एवं रेटिंग विनियम, 2023

i. **खंड 6(क)** को **हटा** दिया जाएगा।

ii. **खंड 6(छ)** को निम्नलिखित से **प्रतिस्थापित** किया जाएगा— "कंपनी अधिनियम, 2013 या उसकी स्थापना के समय प्रवृत्त किसी अन्य संबंधित कानून के अंतर्गत विधिवत् निगमित कोई कंपनी।"

iii. **खंड 6(छ)** के पश्चात् एक नया **खंड 6(ज)** निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"कोई ट्रस्ट जो संबंधित राज्य में ट्रस्टों को स्थापित करने और रेगुलेट करने के लिए बनाए गए संबंधित कानून के अंतर्गत पंजीकृत है।"

iv. **खंड 9, "**योग्य संस्था द्वारा प्रस्तुत कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ**—** " को निम्नलिखित से **प्रतिस्थापित किया जाएगा—** "योग्य संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा किए जाएंगे।"

v. **खंड 9(क)** को **हटा** दिया जाएगा।

vi. **खंड 9(ख)** को निम्नानुसार **प्रतिस्थापित** किया जाएगा:

"एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त सहमति पत्र (Consent of Affiliation – CoA), जो आवेदनकर्ता, मेडिकल कॉलेज/संस्था के नाम से लिखित रूप में जारी किया गया हो। CoA आवेदन प्रस्तुत करने के समय वैध होना चाहिए; और

vii. **खंड 9(ग)** को **हटा** दिया जाएगा।

viii. **खंड 9(घ)** को इस प्रकार **संशोधित** किया जाएगा:

आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि से नब्बे दिनों के भीतर किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए पिछले पूर्ण वित्तीय वर्ष के आधार पर एक शोध क्षमता प्रमाणपत्र (सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट)।

ix. **खंड 9(ट)** में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"आवेदन के समय विनियमों के अनुसार आवश्यक अवसंरचना तथा अन्य वैधानिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। अस्पताल तथा कॉलेज भवन के लिए अस्थायी व्यवस्था की अनुमति नहीं होगी। आवेदक संस्थान की कार्य प्रगति पर है (work-in-progress) की स्थिति को आवेदन की आगे की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।"

x. **खंड 9** के **स्पष्टीकरण 1** को **हटा** दिया जाएगा।

xi. **खंड 9** के अंतर्गत, स्पष्टीकरण 3 के पश्चात **पहले परंतुक** को इस प्रकार **संशोधित** किया जाएगा:

बशर्ते, कोई भी अधूरा आवेदन अर्थात् वर्तमान विनियम में निर्दिष्ट अनिवार्य दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन या ऐसे अन्य दस्तावेज जो समय-समय पर एमएआरबी द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं या एमएआरबी द्वारा आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना जारी होने के समय, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 28(2) के अनुसार एक वैध/योग्य योजना नहीं माना जाएगा और एनएमसी अधिनियम की धारा 28(3) तथा इस विनियमन के खंड 13 के अंतर्गत अनिवार्य अवसर प्रदान किए बिना, ऐसे आवेदन को एमएआरबी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

xii. खंड 15 में “प्रथम पैरा” के बाद तथा “प्रथम परंतुक” से पहले “नया पैरा” **जोड़ा जाएगा**:

"आवेदक/संस्था को नए चिकित्सा संस्थान के संचालन के लिए विशेष रूप से निर्धारित एक कॉर्पस निधि के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय एक वचनपत्र (undertaking) प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, पहले से संचालित सभी मेडिकल कॉलेज को भी मेडिकल कॉलेज के संचालन हेतु विशेष रूप से निर्धारित एक कॉर्पस निधि बनाए रखना होगा। इस कॉर्पस निधि की राशि का निर्धारण चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा इसकी सूचना नोटिस के माध्यम से दी जाएगी। कॉर्पस निधि की राशि का समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा। कॉलेज को जब भी एमएआरबी द्वारा निर्देशित किया जाएगा, दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।“

xiii. **खंड 31 (ग)** को इस प्रकार **संशोधित** किया जाएगा:

“किसी नई योजना/योजनाओं के लिए या उस शैक्षणिक वर्ष या ऐसे निर्धारित वर्षों के लिए सीटों में वृद्धि के आवेदन, की प्रक्रिया को रोकना या उन्हें अस्वीकार करना।"

xiv. **खंड 31 (ज)** को इस प्रकार **संशोधित** किया जाएगा:

“व्यक्तियों या एजेंसियों के माध्यम से एमएआरबी या एनएमसी पर दबाव डालने का कोई भी प्रयास, चिकित्सा संस्थान द्वारा आवेदन/अनुरोध की प्रक्रिया को तत्काल रोक दी जाएगी या उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।“

डॉ. राघव लंगर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./211/2026-27]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में, सीजी-डीएल-ई-0262023-246253 दिनांक 2 जून, 2023 के माध्यम से एनएमसी अधिसूचना सं.एम-27011/01/2023-एमएआरबी के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग "नए चिकित्सा संस्थानो की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023" में कुछ संशोधन प्रस्तावित करता है। खंड 6, 9, 15 और 31 में विनियम में संशोधन करने के लिए मसौदे विनियम को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया गया है और एतद् द्वारा इसके प्रभावित होने वाले

सभी हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा विनियम (संशोधन) पर उस तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद, विचार किया जाएगा, जिस तारीख को भारत के राजपत्र में प्रकाशित इन मसौदा विनियम (संशोधन) की प्रतियां, जनता के लिए उपलब्ध करा दी जाती हैं।

उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं सुझावों पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हों तो निदेशक (पीजी-एमएआरबी), एनएमसी कमरा नंबर 003. गेस्ट हाउस, ग्राउंड फ्लोर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट 14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1. नई दिल्ली-77 के पते पर प्रेषित किए जा सकते हैं तथा नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में ई-मेल द्वारा (emiarr2026amendment@nmc.org.in) पर भी भेजे जा सकते हैं:

आपत्तियां और सुझाव केवल ऊपर दिए गए ई-मेल आईडी पर ही भेजें तथा दूसरे तरीके से, यानी भौतिक या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियां/सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना का मसौदा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट https://www.nmc.org.in पर उपलब्ध होगी।

सुझाव/टिप्पणियाँ प्राप्त करने का प्रारूप

क्र.सं.	**व्यक्ति/संगठन का नाम एवं पता, संपर्क संख्या, ई-मेल आईडी**	**मसौदा/ड्राफ्ट अधिसूचना का वह सम्बद्ध भाग, जिस पर टिप्पणियां की जा रही हैं**	**टिप्पणियां/सुझाव**	**तर्क**	**टिप्पणियां**

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, 8th July, 2026

No. M-27011/01/2025-MARB(LEGAL)/NMC.—In exercise of the powers conferred vide sub- section (2) of Section 57 read with Sections 26, 28 and 29 of the National Medical Commission hereby makes the following **draft regulations** to further amend the "Establishment of New Medical Institutions, Starting of New Medical Courses, Increase of Seats for Existing Courses & Assessment & Rating Regulations, 2023" or "Establishment of New Medical Institutions, Assessment & Rating Regulations, 2023" namely –

1. **(i) These Regulations May Be Called The – "Establishment Of New Medical Institutions, Starting Of New Medical Courses, Increase Of Seats For Existing Courses & Assessment & Rating (Amendment) Regulations, 2026" In Short "Establishment Of New Medical Institutions Assessment & Rating (Amendment) Regulations, 2026".**

(ii)They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Establishment of Medical Institutions, Assessment & Rating Regulations,2023

i. Clause 6(a) shall be deleted.

ii. Clause 6(g) shall be substituted by "A Company duly incorporated under the Companies Act, 2013 or any other corresponding law in force during its establishment.

iii. After Clause 6(g), a new **Clause 6(h)** shall be **inserted** as: "A Trust registered under the respective statute meant to establish and regulate trusts in the respective State."

iv. C**lause 9,** "No application submitted by the eligible entity shall be entertained unless it is accompanied with-"**shall be substituted by** "The following documents shall be submitted by the eligible entity-".

v. C**lause 9(a)** shall be **deleted**

vi. **Clause 9(b)** shall be **substituted** as: "A Consent of Affiliation (CoA) letter obtained from a recognized university, issued in the name of the applicant/ the Medical College/ the entity in writing. The CoA shall be valid at the time of submission of the application; and

vii. **Clause 9(c)** shall be **deleted**.

viii. **Clause 9(d)** shall be **amended** as: A solvency certificate based on the last completed financial year issued by a Chartered Accountant within ninety days prior to the last date of invitation of the application.

ix. **Clause 9 (k)** shall be inserted as:" Infrastructure and other statutory requirements as per the regulations shall be complete at the time of application. Temporary arrangement for the Hospital and college building shall not be permitted. A work-in-progress status of the applicant institute shall not be considered for further processing of the application."

X. Explanation 1 Of Clause 9 Shall Be Deleted

xi. The **first proviso** after Explanation 3, under clause 9, shall be **amended** as:

"Provided any incomplete applications received, meaning applications without the mandated documents specified in the present Regulation or any such other documents as notified from time to time by the MARB or at time of notification of inviting the application by MARB, shall not constitute a valid/eligible scheme as per Section 28(2) of the National Medical Commission Act, 2019, and the same shall be rejected by the MARB without any opportunity as mandated under Section 28(3) of the NMC Act and clause 13 of this regulation."

xii. A "new para" **shall be inserted** after "first para" and before "the first proviso" of clause 15 as:

"The applicant/entity shall submit an undertaking at the time of submission of the application for earmarking a corpus fund dedicatedly applicable to the functioning of the new medical institution. Further, all Medical Colleges already running will also have to maintain a corpus fund dedicatedly applicable to the functioning of the medical college. The amount of such Corpus fund shall be determined by the Medical Assessment & Rating Board and shall be communicated through Notice. The amount of the corpus fund shall be subject to revision from time to time. The College will have to submit the documentary proof whenever directed by the MARB."

xiii. **The clause 31(c)** shall be **amended** as:

Withholding processing or rejection of application(s) for any new scheme/s or for an increase in seats for that academic year or for such number of years.

xiv. The clause 31(h) shall be **amended** as:

"Any attempt to pressurize MARB or NMC through individuals or agency(ies) will lead to immediate halt of the processing or rejection of the application(s)/request(s) by the medical Institution."

Dr. RAGHAV LANGER, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./211/2026-27]

Note:-The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide CG-DL-E-0262023-246253 dated 2nd June, 2023 vide NMC Notification No. M- 27011/01/2023-MARB.

The National Medical Commission proposes certain amendments to "Establishment of New Medical Institutions, Assessment & Rating Regulations, 2023".The draft Regulation amending the Regulation in Clause 6, 9, 15 and 31 have been prepared and approved by the competent authority following due procedures is hereby published for information of all stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Regulation (amendment) shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft Regulation (amendment) are made available to public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the National Medical Commission.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Director (MARB), NMC, Room No.003, Guest House, Ground Floor, National Medical Commission, Pocket –14, Sector-8, Dwarka, Phase-1, New Delhi-77 and sent by e-mail at (emiarr2026amendment@nmc.org.in) in the prescribed format attached below:

The objections and suggestion be sent **only** on the above e-mail ID, and objections/suggestions received in any other means, i.e. physical or through other modes, will not be entertained.

The draft notification will be available on the National Medical Commission's website https://www.nmc.org.in

Format for seeking Suggestions/Comments

SI. No.	Name & Address of the person/organisation Contact Number, e-mail ID	Relevant Section in the Draft Notification on Which comments are being provided	Comments/ Suggestions	Rationale	Remarks

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.07.10 15:28:03 +05'30'